राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक: एफ4(1)ग्रावि / नरेगा / बाकायो / 2009–10 /   जयपुर,दिनांक 19.04.2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यो के समय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत 9 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत कार्य का समय प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उक्त कार्य अवधि में विश्राम काल का समय सम्मिलित है।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह समूह किये गये कार्य की माप मेट से करवाकर मस्टरोल में समय इन्द्राज कराने के उपरान्त तथा समूह के किसी सदस्य के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है। तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मेट अपने कार्य को प्रभावी रूप से इस प्रकार से सम्पादित करे कि प्रातः 6.00 बजे से कार्य प्रारंभ कर गर्मी तेज होने से पूर्व ही अर्थात लगभग 1.00 बजे तक श्रमिक अपनी टास्क पूर्ण आर घर जा सके। इसके उपरान्त भी यदि कुछ श्रमिक टास्क पूर्ण नहीं कर पाते है तो उन्हें 3.00 बजे तक कार्य करने की छूट होगी।

भवदीय

19/4/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त नरेगा